

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क० / बोर्ड / निर्माण / स्वी० / विविध / 20-21 / 406

भोपाल, दिनांक: 18/6/2020

प्रति,

रायिब,
कृषि उपज मण्डी समिति
.....(समस्त)
जिला.....(म.प्र.)

विषय - मण्डी समिति की स्थाई निधि से राशि स्वीकृत किये जाने की प्रक्रिया ।

पिपयान्तर्गत मंडी अधिनियम 1972 की धारा 25 क(6) के प्रावधानों के तहत स्थायी निधि से व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के अधिकार प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड को है।

नियमानुसार मंडी समितियां स्थायी निधि से व्यय की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर सकती है।

अतः प्रांगण में आवश्यक निर्माण कार्य कराने के लिए मण्डी समितियां सर्वप्रथम प्रस्तापित कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करेंगी एवं कार्य की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए स्थायी निधि से व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रेषित करेंगी। स्थायी निधि से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही कार्य कराने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर , निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा सकेगी।


(संदीप यादव)

प्रबंध संचालक

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क०/बोर्ड/निर्माण/स्टी०/विजि०/२०-२१/४०७

भोपाल, दिनांक 18/6/2020

प्रतिष्ठिति: सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

१. अपर संचालक(विज्ञान), मध्यराज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
२. मुख्य अभियंता, मध्यराज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
३. समुक्त संचालक/उपसंचालक, मध्यराज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय। कृषि मण्डली समिति से प्राप्ता प्रस्ताव भेजने के पूर्व उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।
४. कार्यपालन कमी, मध्यराज्य कृषि विपणन बोर्ड (एक-मीकी) समाम।
५. उपसंचालक, मध्यराज्य कृषि विपणन बोर्ड (स्टी०) मुख्यालय भोपाल।


पञ्चा संचालक
मध्यराज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल